



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2589/2026

अंकित ठाकुर उर्फ शिवांशु

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

:

मांडवी त्रिपाठी, संतोष त्रिपाठी

प्रतिवादी अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मोहित सिंह, मुखबिर के अधिवक्ता श्री प्रिंस श्रीवास्तव और राज्य के अधिवक्ता ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 480/2025, धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना- कटघर, जिला- मुरादाबाद के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष की कहानी

4. सूचना देने वाले को निखिल नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसके भतीजे पर आवेदक और सह-आरोपी हिमांशु सिंह उर्फ मनु ठाकुर ने 1.8.2025 को रात करीब 10:30 बजे हमला किया है।

आवेदक की ओर से तर्क:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक बिल्कुल बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस जुर्म से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में लगभग चार घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है।
6. सूचना देने वाले चश्मदीद गवाह नहीं है। चश्मदीद गवाह को बाद में गलत तरीके से फंसाया गया क्योंकि वह घटना के बारे में अपनी आँखों से कुछ बताना नहीं चाहता था।
7. उस गवाह निखिल ने जांच अधिकारी और संबंधित न्यायालय के सामने अपनी मर्जी से कहा था कि उसका बयान धारा 183, बीएनएसएस के तहत दर्ज किया जा सकता है, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया गया और जांच अधिकारी ने उसका झूठा बयान दर्ज किया है, वह भी ढाई महीने की देरी के बाद, जिसमें उसने कहा है कि दोनों आरोपियों ने मृतक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था।
8. उस गवाह का बयान भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है, क्योंकि मरने वाले की छाती पर सिर्फ एक चाकू का घाव देखा गया है, इसलिए यह साफ तौर पर झूठे केस का मामला है।
9. आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति की निशानदेही पर चाकू की झूठी बरामदगी दिखाई गई है। हालांकि, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत के तहत मामला सिर्फ सह-आरोपी पर ही थोपा गया है, जिसका मतलब है कि आवेदक वह आरोपी नहीं है जिसने मृतक व्यक्ति को चाकू मारा था। अभियोग पक्ष को पक्का नहीं पता कि मृतक व्यक्ति को चाकू किसने मारा था।
10. एक और गवाह ओम प्रकाश को अभियोग पक्ष ने चश्मदीद गवाह बनाया है, जिसका बयान डेढ़ महीने की देरी से यानी 16.9.2025 को रिकॉर्ड किया गया, जिसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता। उस गवाह ओम प्रकाश का नाम FIR या जांच के दौरान कहीं भी नहीं था।
11. आवेदक को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया था, इसलिए, रिमांड शीट के अनुसार, जो पहले ही जमानत आवेदन के साथ दायर की जा चुकी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धारा 47, बीएनएसएस का कोई पालन नहीं होता है।
12. अभियोग पक्ष ने चार और गवाह पेश किए हैं, जिन्होंने बस इतना कहा है कि उन्होंने शराब के नशे में कुछ अनजान लोगों को मरे हुए आदमी के साथ झगड़ा करते देखा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत कोई पहचान परेड नहीं की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक 3.8.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

राज्य/प्रतिवादी की ओर से तर्क:

14. जमानत अर्ज़ी का विरोध किया गया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सका।

निष्कर्ष:

15. "जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक बेगुनाही का अंदाज़ा" का प्रसिद्ध सिद्धांत, नियम के तौर पर जमानत और अपवाद के तौर पर जेल के अवधारणा को जन्म देता है।

16. किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है, और इसे सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि अपराध साबित होने में कोई शक न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी की भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और यह प्रक्रिया सही और तर्कसंगत होनी चाहिए। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 5** में दोहराया है।

17. ऊपर कही गई बात को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह बहुत अच्छी तरह से तय सिद्धांत कि सज़ा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती, उसे नहीं भूलना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मानें कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

18. विद्वान ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई खास परिस्थिति नहीं बता सके जिससे आवेदक को जमानत देने से मना किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मरने वाले को सिर्फ एक चोट लगी है और कहा जाता है कि दो लोगों ने मरने वाले को चाकू मारा है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

20. आवेदक- अंकित ठाकुर उर्फ शिवांशु, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

विकास वर्मा



अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।